-प्रेस नोट-

दिनांकः 15/02/2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द व थाना गागलहेड़ी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सरकारी विभागो में नौकरी लगवाने के नाम पर बेरोजगार युवको को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर धोखाधड़ी से पैसा हड़पने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 04 शातिर जालसाज अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी दस्तावेज, लैपटाप, नियुक्ति पत्र, मोबाइल, शैक्षिक प्रमाण पत्र आदि सामान बरामद

बरामदगीः-

- **50,000/-रू0 नकद**
- **01 अदद लैपटाप**
- **01 अदद लैदर बैग**
- **06 अदद मोबाईल (भिन्न भिन्न कम्पनियो के)**
- **02 अदद ए0टी0एम0 कार्ड**
- **07 फर्जी नियुक्ति पत्र सरकारी विभागो के**
- **08 फर्जी आवेदन फार्म भारतीय रेलवे बोर्ड में भर्ती**
- **01 अदद आधार कार्ड छायाप्रति**
- **01 हाईस्कूल की मार्कशीट की छायाप्रति**
- **01 इण्टरमीडिएट की मार्कशीट की छायाप्रति**

अवगत कराना है कि दिनांक 22.10.2023 को वादी श्री अक्षय कुमार पुत्र सुशील कुमार निवासी ग्राम असदपुर करन्जाली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अभियुक्त दीपक श्रीवास्तव पुत्र जगदीश शरण आदि नें कुल 44 लाख 50 हजार रूपये सरकारी विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करके पैसा ठगी करने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 724/23 धारा 420/406 भा0द0वि0 बनाम दीपक श्रीवास्तव आदि 03 अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत किया गया व दिनांक 12.01.2024 को वादी श्री प्रशान्त कुमार पुत्र मुनेश कुमार नि0 चौरा खुर्द थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त दीपक श्रीवास्तव उपरोक्त द्वारा वादी से धोखाधडी करके नौकरी लगवाने के नाम पर 20 लाख रूपये ले लेना व वापस न करने के सम्बन्ध थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0 14/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि के पंजीकृत कराया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.02.2024 को थाना

देवबन्द व थाना गागलहेड़ी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा "**सरकारी विभागो में नौकरी लगवाने के नाम पर बेरोजगार युवको को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर धोखाधड़ी से पैसा हड़पने वाले अन्तराज्यीय गिरोह**" का पर्दाफाश करते हुए **04 शातिर जालसाज अभियुक्तगण (1) विशाल पुत्र राजकुमार निवासी राजा बाजार शकुन्तला अपार्टमेन्ट नियर प्राचीन हनुमान मंदिर थाना राजाबाजार, जिला पटना (बिहार) हाल पता ए-9 फ्लैट नं0 1901 पंचतत्व अपार्टमेन्ट ग्रेटर नोएड़ा (उ0प्र0) (2) दीपक श्रीवास्तव पुत्र जगदीश शरण निवासी सहाबुद्दीन रोड नया रामपुरी गेट नं0 03 मकान नम्बर 14 जनपद मुजफ्फरनगर (3) तुषार उपाध्याय पुत्र सुबोध कुमार निवासी म0नं0-100 सैनी नगर खतौली कस्बा व थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर (4) सलाउद्दीन पुत्र मंगलुद्दीन निवासी पूर्वी मुस्तफाबाद लोनी देहात थाना लोनी जनपद गाजियाबाद** को रेलवे स्टेशन देवबन्द के पास से गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से सरकारी विभागो में नौकरी लगवाने के नाम पर अभ्यार्थियो के फर्जी नियुक्ति पत्र तथा अन्य दस्तावेज (50,000/-रु0 नकद, 01अदद लैपटाप, 01 लैदर बैग, 06 मोबाइल भिन्न भिन्न कम्पनियो के, 02 ए0टी0एम0 कार्ड, 07 फर्जी नियुक्ति पत्र सरकारी विभागो के, 08 फर्जी आवेदन फार्म भारतीय रेलवे बोर्ड में भर्ती के, 01 आधार कार्ड छायाप्रति, 01 हाईस्कूल की मार्कशीट की छायाप्रति, 01 इण्टरमीडिएट की मार्कशीट की छायाप्रति आदि) बरामद हुए। **अभियुक्तगण शातिर किस्म के जालसाज अपराधी है**, अन्य किये गये अपराधों की जानकारी की जा रही है। अभियुक्तगणो के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u> अभियुक्तगण ने पूछने पर एक साथ बताया कि हम चारो व हमारा एक अन्य साथी सुजीत कुमार की मुलाकात फेसबुक के माध्यम से हुई थी । उसके बाद हम एक दूसरे से फोन पर बात करने लगे तथा फेसबुक पर जॉब आफर देखकर ही हमारे मन में यह विचार आया कि क्यो न हम बेरोजगार लोगो को नौकरी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाये और उनसे रूपये ऐंठ ले । इसी योजना पर काम करने के लिये हमने अपने साथ विशाल की पत्नि करिश्मा व विशाल के भाई विकास तथा आकाश को भी अपने साथ मिला लिया जो कम्प्यूटर की अच्छी जानकारी रखते है, फिर कम्प्यूटर में साफ्टवेयर के माध्यम से फर्जी नियुक्ति पत्र व जॉब ऑफर तैयार कर उन्हे विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करते थे । जिससे बहुत सारे बेरोजगार युवक हमारे सम्पर्क में आने लगे । जिनको नौकरी का झांसा देकर व फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर उन्हे भेजते व उनसे अपने खातो में रूपये ले लेते थे । इसी क्रम में कस्बा देवबन्द के अक्षय व अन्य अभ्यर्थियों को नौकरी का झांसा देकर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर अपने खातो में लगभग 60 लाख रूपये ले लिये थे । इसके अलावा भी कई जगह से हमने इसी प्रकार से और भी बहुत लोगो से नौकरी का झांसा देकर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर उन्हे बिहार व कलकत्ता में अलग अलग स्थानो पर फर्जी ट्रैनिंग सैन्टर तैयार कर ट्रैनिंग भी कराते थे और इन्ही रूपयो में कुछ रूपये उन्हे सैलरी के रूप में भी दे देते थे जिससे उनका विश्वास बन जाता था तथा उन्ही लोगो से अन्य लोगो को नौकरी के लिये लाने को कहते थे जिसमें हमारे पास ट्रेनिंग कर रहे कुछ लोग, अन्य लोगो को भी नौकरी के लिये हमसे मिलवा देते थे इसी प्रकार नौकरी का झांसा देकर हमने बहुत सारे लोगो से अपने अलग-अलग खातो में लाखो रूपये ट्रांसफर कराये है । उन रूपयो को हम अपने द्वारा लाये गये ग्राहको व अपने-अपने काम के अनुसार आपस में बांट लेते थे। उन रूपयो को हम अपनी ऐशओआराम में उडाते देते थे व उन्ही से अपने परिवार का खर्चा चलाते थे तथा विशाल ने बताया कि मै ही इन रूपयो को लेने के लिये सूरज के खाते व उसके एटीएम का इस्तेमाल करता हूं और उसे भी उसके खाते के प्रयोग करने के एवज में कमीशन के रूप मे कुछ रूपये दे देता हूं । आज जो मेरी जेब से एटीएम मिला है उसमें एक एटीएम सूरज का है । अभ्यार्थियों को जो भी फर्जी नियुक्ति पत्र व कागजात हम तैयार करते थे वह हम इसी लैपटाप व अन्य कम्प्यूटर से तैयार करते थे । जो नियुक्ति पत्र हम लोगो से बरामद हुए है आज हम इन लोगो को यहाँ बुलाकर उनके नियुक्ति पत्र देने के लिए आये थे

और उनसे नियुक्ति पत्र के बदले रूपये भी लेने थे और कुछ नियुक्ति पत्र हमें गागलहेड़ी के आस पास के लड़को को भी देने थे इसी पर आप लोगों ने हमे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः–

(1) विशाल पुत्र राजकुमार निवासी राजा बाजार शकुन्तला अपार्टमेन्ट नियर प्राचीन हनुमान मंदिर थाना राजाबाजार, जिला पटना (बिहार) हाल पता ए-9 फ्लैट नं0 1901 पंचतत्व अपार्टमेन्ट ग्रेटर नोएड़ा (उ0प्र0)

(2) दीपक श्रीवास्तव पुत्र जगदीश शरण निवासी सहाबुद्दीन रोड नया रामपुरी गेट नं0 03 मकान नम्बर 14 जनपद मुजफ्फरनगर

(3) तुषार उपाध्याय पुत्र सुबोध कुमार निवासी म0नं0-100 सैनी नगर खतौली कस्बा व थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर

(4) सलाउद्दीन पुत्र मंगलुद्दीन निवासी पूर्वी मुस्तफाबाद लोनी देहात थाना लोनी जनपद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

(1) 50,000/-रु0 नकद

(2) एक अदद लैपटाप

(3) एक अदद लैदर बैग

(4) 06 अदद मोबाईल (भिन्न भिन्न कम्पनियो के)

(5) 02 अदद ए0टी0एम0 कार्ड

(6) 07 फर्जी नियुक्ति पत्र सरकारी विभागो के

(7) भारतीय रेलवे बोर्ड में भर्ती का 08 फर्जी आवेदन फार्म

(8) 01 अदद आधार कार्ड छायाप्रति

(9) 01 हाईस्कूल की मार्कशीट की छायाप्रति

(10) 01 इण्टरमीडिएट की मार्कशीट की छायाप्रति

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

- मु0अ0सं0 14/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
- मु0अ0सं0- 724/23 धारा 420/406 भा0द0वि0 थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विकास चारण थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री विकास सिंघल थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री अनित यादव थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर
5. है0कां0 1124 राहुल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
6. है0का0 342 आशीष तोमर थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर
7. कां0 976 गौरव दांगी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
8. कां0 2008 ऋषभ देशवाल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
9. कां0 1009 विकास कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
10. कम्प्यूटर आपरेटर रूपेन्द्र कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

दिनांकः 15.02.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर ,उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साईबर ठगी में गये 38,000/- रूपये के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए पीडित के खाते में ठगी गयी रकम करायी वापस

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व साइबर अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना देवबन्द साइबर हैल्प डेस्क टीम द्वारा साइबर ठगी के शिकार हुए पीडित मौ0 अनस पुत्र अब्दुल मौईद खान निवासी मौहल्ला मटकोटा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की शिकायत संख्या 33102240012964 मे दिनांक 01/02/2024 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी लिंक भेजा गया जिस पर क्लिक करते ही पीडित के 38000/- रूपये बैंक खाते से IDFC बैंक में ट्रांसफर हो गये, में त्वरित कार्यवाही करते हुये पीडित की उक्त धनराशि **38000/- रूपये** को IDFC बैंक में होल्ड कराये गये थे। सम्बन्धित बैंक मैनेजर से समन्वय स्थापित कर आज दिनांक 15.02.2024 को साइबर हेल्प डैस्क सेल देवबन्द सहारनपुर द्वारा पीडित की साइबर ठगी में गई 38000/- रूपये की धनराशि उसके खाते में वापस कराई है। पीडित द्वारा थाना देवबन्द साईबर टीम का आभार व्यक्त किया गया है।

साईबर ठगी के रूपये वापस कराने वाली साईबर टीम-

1. श्री संजीव कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना देवबन्द स0पुर
2. व0उ0नि0 श्री अजय कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री आरिफ अली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. कम्प्यूटर ऑपरेटर रूपेन्द्र सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर
5. म0का0 हिमानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 15-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा प्रतिबन्धित चाईनीज मांझे का विक्रय करने वाले दुकानदार को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से 06 गिटटी (02 किलोग्राम) प्रतिबन्धित मांझा बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व प्रतिबन्धित मांझे का कारोबार करने वालो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा प्रतिबन्धित चाईनीज मांझे का विक्रय करने वाले **अभियुक्त/दुकानदार अमन पुत्र संजय निवासी मातागढ थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को 02 किलोग्राम प्रतिबन्धित मांझा के साथ मातागढ तिराहा के पास से आज दिनांक 15.02.2024 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 46/2024 धारा 188/336 भादवि 5/15 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 बनाम अमन उपरोक्त के विरूध्द पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त एक शातिर किस्म का नकबजन अभियुक्त है। अभियुक्त अमन उपरोक्त के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त अमन से पूछताछ करने पर बताया कि वसन्त पंचमी का समय है और लोगो को पतंग उडाने के लिए मांझे की आवश्यक्ता होती है वसन्त पंचमी के समय का फायदा उठाते हुए अपनी अपनी इच्छाओ की पूर्ति के लिए सडक के किनारे छड लगाकर प्रतिबन्धित मांझा बेचते है। आज आपने हम लोगो को पकड लिया हमे माफ कर दो।

गिरफ्तार दुकानदार/अभियुक्त का नाम व पता –

1. अमन पुत्र संजय निवासी मातागढ थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरणः-

- 06 गिटटी प्रतिबन्धित मांझा है जोकि सील बन्द है जिन पर For Industrial Use Only अंकित है (कुल 2 किलो ग्राम प्रतिबन्धित मांझा)

अभियुक्त अमन का आपराधिक इतिहास —

1. मु0अ0सं0 304/17 धारा 380,457 भादवि थाना कोतवाली मण्डी जपनद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 305/17 धारा 380,411,457 भादवि थाना कोतवाली मण्डी जपनद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 335/17 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जपनद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 46/2024 धारा 188/336 भादवि 5/15 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 थाना कोतवाली मण्डी जपनद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सोलंकी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 548 रविन्द्र थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 310 विपिन थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 15-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 छूरी नाजायज व 03 एन्ड्रायड मोबाइल फोन बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियनत्रण व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.02.2024 को थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर **अभियुक्त सारिक पुत्र मतलूब हसन निवासी मौ0 तकिया जनकनगर खानआलमपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को 01 छूरी नाजायज व तीन अदद एन्ड्रायड मोबाईल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0स0- 23/2024 धारा 414 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभियुक्त सारिक पुत्र मतलूब हसन निवासी मौ0 तकिया जनकनगर खानआलमपुरा जनकपुरी सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 अदद छूरी नाजायज

03 एन्ड्रायड मोबाईल फोन बरामद

आपराधिक इतिहासः

1. मु0अ0स0 221/20 धारा 379/411 भादवि थाना जनकपुरी
2. मु0अ0स0 376/20 धारा 414 भादवि थाना मण्डी
3. मु0अ0स0 377/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री इन्द्रसैन, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
2. का0 2541 जयसिह, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
3. कां0 2343 संदीप सिह, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 15-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास अभियुक्त 1. अभि0 राजेश पुत्र मदनलाल निवासी धोबी घाट श्यामपुरी कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर सम्बन्धित वाद स0- 2190/22 धारा 307 भादवि0 चालानी थाना मण्डी सहारनपुर अपर प्रिंसिपल जज परिवार न्यायालय सहारनपुर को उनके मसकन पर दबिश देकर दिनांक 15.2.24 समय करीब 07.50 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण को समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. राजेश पुत्र मदनलाल निवासी धोबी घाट श्यामपुरी कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 187/22 धारा 307 भा0द0वि0 थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री नरेंद्र सोलंकी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 548 रविन्द्र कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 310 विपिन पवार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक: 15.02.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रतिबंधित चाईनीज मांझा विक्रय करने वाले 01 दकानदार को किया गय गिरफ्तार,कब्जे से 07 किलोग्राम प्रतिबंधित चाईनीज मांझा बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण,अवैध चाईनीज मांझे के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी द्वितीय नगर सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र प्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14.02.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चैंकिंग के दौरान **01अभियुक्त अरुण सैनी पुत्र बाबूराम सैनी निवासी हौली चौक वर्धमान कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 07 गिट्टी प्रतिबन्धित चाईनीज मांझा, 01 खाली चरखी व 04 गुच्छे प्रतिबन्धित चाईनीज मांझा (कुल वजन 07 किग्रा प्रतिबन्धित चाईनींज मांझा) बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 60/24 धारा 188/336 भादवि व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुध्द अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाह कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

अरुण सैनी पुत्र बाबूराम सैनी नि0 हौली चौक वर्धमान कालोनी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

बारामदगी का विवरण-

- 07 गिट्टी प्रतिबन्धित चाईनीज मांझा।
- 01 खाली चरखी।
- 04 गुच्छे प्रतिबन्धित चाईनीज मांझा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर।
2.है0का0 241 कपिल तोमर थाना को0देहात जनपद सहारनपुर।
3. का0 1059 अनुज राणा थाना को0देहात जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 15.02.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर , सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण,वांछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 15.02.2024 को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर **01 वारंटी अभियुक्त आसिफ पुत्र नसीम निवासी हाकमशाह कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं0 1215/23 थाना कुतुबशेर सहारनपुर** को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता –

आसिफ पुत्र नसीम निवासी हाकमशाह कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 दीपक कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 840 अनुज कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

दिनांकः 15/02/2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

आज दिनांक 15.02.24 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन मे पुलिस लाईन में महिला परिवार परामर्श केन्द्र जनपद सहारनपुर में विवादित परिवारो की काउंसलिंग करने के लिये महिला परिवार परामर्श केन्द्र से उपनिरीक्षक राजबाला शर्मा, म0का0 1132 सरिता, की उपस्थिति में कान्उसलर कुलभूषण जैन, के0एल0 दावडा, अनुपमा महाजन व श्रीमति सुरभि सिंह के द्वारा काउंसलिंग कराई गयी।

परिवार परामर्श केन्द्र में कुल 07 प्रकरणो में दोनो पक्षो को नोटिस देकर काउंसलिंग के लिये बुलाया गया। जिसमें 06 प्रकरणों मे दोनो पक्ष उपस्थित आये। व 01 प्रकरणो में दोनो पक्षों में से कोई भी पक्ष उपस्थित नही हुयें। जिनकी काउंसलिंग करने के बाद काउन्सलरो द्वारा 02 पक्ष मे समझौता कराया गया।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 15-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा प्रतिबन्धित चाईनीज मांझे की बिक्री करने वाले 05 दुकानदार/अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा प्रतिबनधित चाइनीज मांझे का कारोबार करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.02.2024 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा प्रतिबन्धित मांझे की बिक्री करने वाले **05 दुकानदार/अभियुक्तगण 1. आफताब पुत्र मौ0 इकबाल निवासी पीर वाली गली न0-10 थाना मण्डी**, **सहारनपुर** को 1.100 कि०ग्रा० प्रतिबन्धित मांझा सहित पीर वाली गली न0-10 से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 45/2024 धारा 188/336 भादवि 5/15 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 बनाम आफताब उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।, **2. कालू पुत्र सीदु निवासी मच्छवारो का मौहल्ला थाना मण्डी सहारनपुर** को 1.600 कि0ग्रा0 प्रतिबन्धित मांझा सहित इदगाह रोड़ पर मिश्रीशाह मस्जिद के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 47/2024 धारा 188/336 भादवि 5/15 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 बनाम कालू उपरोक्त के विरूध्द पंजीकृत किया गया।, **3. अमन पुत्र नदीम हसन निवासी बरेलियो का मदरसा पीर वाली गली न0-23 थाना मण्डी सहारनपुर** को 1.100 कि0ग्रा0 प्रतिबन्धित मांझा सहित बरेलियो के मदरसे के पास पीर वाली गली न0-23 से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 49 /2024 धारा 188/336 भादवि 5/15 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 बनाम कालू उपरोक्त के विरूध्द पंजीकृत किया गया।, **4. शादाब पुत्र सराफत नि0गली न0 12 आजाद कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर** को 0.96 किलो ग्राम प्रतिबन्धित मांझा सहित मण्डी समिति के अन्दर पुराने खाली पडे खण्डहर, मदरसे के पास पीर वाली गली न0-23 से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 48 /2024 धारा 188/336 भादवि 5/15 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 बनाम कालू उपरोक्त के विरूध्द पंजीकृत किया गया। व **5. अमन पुत्र संजय निवासी मातागढ थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को 02 कि0ग्राम प्रतिबन्धित मांझा के साथ मातागढ तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध मे थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 46/2024 धारा 188/336 भादवि 5/15 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 बनाम अमन उपरोक्त के विरूध्द पंजीकृत किया गया अभियुक्तगणो के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. आफताब पुत्र मौ0 इकबाल निवासी पीर वाली गली न0-10 थाना मण्डी
2. कालू पुत्र सीदु निवासी मच्छवारो का मौहल्ला थाना मण्डी सहारनपुर
3. अमन पुत्र नदीम हसन निवासी बरेलियो का मदरसा पीर वाली गली न0-23 थाना मण्डी स०पुर
4. शादाब पुत्र सराफत नि0गली न0 12 आजाद कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर
5. अमन पुत्र संजय निवासी मातागढ थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

<u>बरामदगी- अभियुक्त आफताब उपरोक्त</u>

कब्जे से 02 गिटटी रंग लाल जिस पर K COBRA GOLD लिखा है कि गिटटी प्रतिबन्धित मांझा है जोकि सील बन्द है जिस पर For Industrial Use Only लिखा है बरामद हुआ (कुल 1.100किलो ग्राम प्रतिबन्धित मांझा)

<u>बरामदगी- अभियुक्त कालू उपरोक्त</u>

कब्जे से कुल 04 गिटटी जिसमे K KOBRA GOLD की गिटटी प्रतिबन्धित मांझा है जोकि सील बन्द है जिन पर For Industrial Use Only अंकित है बरामद हुआ (कुल 1.600 किलो ग्राम प्रतिबन्धित मांझा)

<u>बरामदगी- अभियुक्त अमन उपरोक्त</u>

कब्जे से कुल 02 गिटटी रंग कोका कोला जिस पर K COBRA GOLD लिखा है कि मिटटी प्रतिबन्धित मांझा है जोकि सील बन्द है जिस पर For Industrial Use Only लिखा है बरामद हुआ (कुल 1.100 किलो ग्राम प्रतिबन्धित मांझा)

<u>बरामदगी- अभियुक्त शादाब उपरोक्त</u>

कुल 02 गिटटी जिसमे 01 गिट्टी पर K KOBRA GOLD For Industrial Use Only लिखा है जोकि सील बन्द है व 01 गिट्टी खुली हुयी जिससे कुछ माझा निकला प्रतीत हो रहा है जिसकी गिट्टी पर hero plus For Industrial Use Only लिखा है , बरामद हुआ (0.96 किलो ग्राम प्रतिबन्धित मांझा)

<u>बरामदगी- अभियुक्त अमन उपरोक्त</u>

कब्जे से 06 गिटटी जिसमे स्टार की गिटटी प्रतिबन्धित मांझा है जोकि सील बन्द है जिन पर For Industrial Use Only अंकित है बरामद हुआ (कुल 2 किलो ग्राम प्रतिबन्धित मांझा)

<u>अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-</u>

1. <u>अभियुक्त आफताब–</u>

मु0अ0सं0 508/18 धारा 414, 420, 468, भा0द0वि0 व 41/102 सीआरपीसी थाना मण्डी, सहारनपुर

मु0अ0सं0 303/21 धारा 379/411 भादवि थाना गागलहेडी जपनद सहारनपुर

2. अभियुक्त कालू –

मु0अ0सं0 47 /2024 धारा 188/336 भादवि 5/15 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986

3. अभियुक्त शादाब–

मु0अ0सं0 48 /2024 धारा 188/336 भादवि 5/15 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986

4. अभियुक्त अमन–

मु0अ0सं0 49/2024 धारा 188/336 भादवि 5/15 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम

5. अभियुक्त अमन –

1. मु0अ0सं0 304/17 धारा 380,457भादवि थाना कोतवाली मण्डी जपनद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 305/17 धारा 380,411, 457भादवि थाना कोतवाली मण्डी जपनद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 335/17 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जपनद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 46/2024 धारा 188/336 भादवि 5/15 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 थाना कोतवाली मण्डी जपनद सहारनपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –</u>

1. उ0नि0 उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 अतुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 ज्ञानेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 नरेन्द्र सोलंकी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. है0का0 609 विपिन थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
6. का0 2371 राहुल थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
7. है0का0 663 बालेन्द्र कुमार मण्डी जनपद सहारनपुर
8. का0 978 विपिन कुमार मण्डी जनपद सहारनपुर
9. है0का0 548 रविन्द्र थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
10. है0का0 310 विपिन थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 15-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 12 घण्टे में त्रिवेणी मील की सम्पत्ति चोरी करने वाले 01 चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया माल/समान बरामद

बरामदगी का विवरणः-

- **स्क्रैप यार्ड में पडे लोहे का सामान (चैन की पुरानी कडी, मिल चैन के बोल्ट)**
- **50-60 किलो लोहे की मोटी पत्ती**
- **रेहडे का चेचिस नम्बर 01B21C0532 धारा 207 M.V ACT मे सीज**

अवगत कराना है कि दिनांक 15/09/2024 को वादी श्री अमित कुमार पुत्र श्री नरेशपाल (सुपरवाईजर) त्रिवेणी शुगर मिल थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरों द्वारा त्रिवेणी मील का स्क्रेप चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 65/24 धारा 379 भा0द0वि0 के पंजीकृत किया गया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 **अभियुक्त अंकित पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम लखनौती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को चोरी गये माल (स्क्रैप यार्ड में पडे लोहे का सामान, चैन की पुरानी कडी, मिल चैन के बोल्ट, 50-60 किलो लोहे की मोटी पत्ती व रेहडे) सहित गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त रेहड़े को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै ज्यादा पढा लिखा नही हूँ और मैं नशा करने का आदी हूँ। रेहडा चलाता हूँ। अपनी नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए मैंने त्रिवेणी मिल से लोहे का सामान उठा लिया था जिसे मैं बेचने के लिए जा रहा था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। यह वही सामान है जो मैने त्रिवेणी मिल से चोरी किया था।

बरामदगी का विवरणः-

- स्क्रैप यार्ड में पडे लोहे का सामान (चैन की पुरानी कडी, मिल चैन के बोल्ट)
- 50-60 किलो लोहे की मोटी पत्ती
- रेहडे का चेचिस नम्बर 01B21C0532 धारा 207 M.V ACT मे सीज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 राजन पुण्डीर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 संजीव त्यागी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 742 विनोद कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. का0 1980 योगेश थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
5. का0 2358 तरूण कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर